I/8446/2021

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

परियोजना पदाधिकारी–सह-अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग|

सेवा में,

नगर आयुक्त,
सभी नगर निगम|

कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद/पंचायत|

दिनांक: 20.07.21

विषय: DAY-NULM योजना के SUSV घटक अन्तर्गत नगर निकायों में विक्रय स्थलों की **भूमि एवं बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने सम्बन्धी स्थानीय आवश्यकता को अवधारित (Regulation) के संबंध में|**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि DAY-NULM योजना के SUSV घटक अन्तर्गत शहरी फुटपाथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण के उपरान्त उन्हें विक्रय हेतु उपयुक्त स्थल उपलब्ध करा कर उनकी आजीविका को सुरक्षित करना है | नगर निकायों में वेंडिंग ज़ोन निर्माण हेतु शहरी क्षेत्र में भूमि की अनुपलब्धता / भूमि पर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण इस कार्य में यथोचित प्रगति नहीं हो पा रही है|

2. वर्तमान में संचालित विक्रय स्थल में आवश्यकतानुसार बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध करा कर सभी विक्रय स्थल/ बाज़ार जहाँ सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेता विक्रय करते हो को फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 एवं बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता(जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) स्कीम 2017 अंतर्गत अवधारित किए जाने का प्रावधान है| विक्रय स्थलों की भूमि एवं स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्न बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा सकता है:-

क) मंडी/ मार्केट में शेड(अस्थायी) की व्यवस्था

ख) प्रकाश/ बिजली का प्रावधान

ग) स्वच्छ पीने के पानी की सुविधा

घ) अपशिष्ट निष्पादन की सुविधा

ड.) पार्किंग की व्यवस्था (यदि आवश्यक हो तो)

च) शौचालय की व्यवस्था (Community Toilet)

छ) शहरी क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में प्रतिबंधित विक्रय क्षेत्र (Restricted Vending zones), प्रतिबंध मुक्त फुटपाथ विक्रय क्षेत्र (Restriction-free Vending Zones) और गैर फुटपाथ विक्रय क्षेत्र (No Vending Zone) का Neon बोर्ड "(2 फीट*1 फीट)" लगाया जाना|

3. चिन्हित स्थलों पर Neon बोर्ड "(2 फीट*1 फीट)"को क्रय करने, प्रारूप के अनुरूप छपाई (प्रिंटिंग) तथा बोर्ड को स्थापित करने हेतु जिलापदाधिकारी कार्यालय या IPRD द्वारा संबन्धित कार्य हेतु निर्धारित दर पर किया जाना है विक्रय स्थल का निर्धारण कर, संलग्न प्रारूप के अनुरूप Neon बोर्ड लगाया जाना है जिसपर होने वाला व्यय DAY-NULM के SUSV घटक.से किया जा सकेगा|

अत: अनुरोध है की शहरों में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने एवं शहरी फुटपाथ विक्रेताओं की समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से उपरोक्त दिशानिर्देश के अनुरूप विक्रय स्थल को यथाशीघ्र फुटपाथ विक्रय स्थल को अवधारित करने तथा सभी वार्डों में Neon बोर्ड लगाए जाने की कार्रवाई करने की कृपा की जाय एवं कृत कार्रवाई का प्रगति प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया जाय|

अनु: यथोक्त

विश्वासभाजन

Signed by Umakant Pandey

परियोजना पदाधिकारी-सह अपर निदेशक

Reason: Approved

नगर विकास एवं आवास विभाग

1. प्रतिबंधित विक्रय क्षेत्र

प्रतिबंधित विक्रय क्षेत्र के अंतर्गत कुछ प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए कुछ विक्रय किया जा सकता है | फुटपाथ में विक्रय के प्रतिबंध का मुख्य कारण फुटपाथ पर पर्याप्त जगह की कमी है| विक्रय स्थल पर प्रतिबंध दो तरीकों से लगाया जा सकता है:-

(1) विक्रय की समयावधि को कम किया जा सकता है ताकि यातायात के आवागमन के व्यस्तम समय को सुचारु किया जा सके |

(2) या विक्रय को चलंत (Non-Stationary) के रूप में किया जा सकता है | शहर के आवासीय क्षेत्रों में चलंत विक्रय को प्रोत्साहित किया जाएगा |

Neon Board का प्रारूप (प्रतिबंधित विक्रय क्षेत्र)

DAY-NULM	
विक्रय स्थल का नाम:	
विक्रय का समय: (विक्रय का समय निर्धारण निकाय द्वारा स्थानीय जरूरत एवं यातायात की सुगमता को देखते हुए किया जाएगा)	**eg:** **सुबह- 5 से 12 बजे तक** **दोपहर-12 बजे से 6 बजे शाम तक** **शाम- 6 से 11 बजे रात तक**
निदेशानुसार- नगर निकाय का नाम	

2. प्रतिबंध मुक्त फुटपाथ विक्रय क्षेत्र

प्रतिबंध मुक्त फुटपाथ विक्रय क्षेत्र से नगर निकाय के उन स्थलों से है जो नगर निकाय की स्वयं की भूमि है एवं वह फूटपाथ विक्रय हेतु निर्धारित हैं |नगर में सभी प्रतिबंध मुक्त फुटपाथ विक्रय क्षेत्र नहीं होंगे | उस क्षेत्र की निर्वाह क्षमता ही फुटपाथ विक्रेताओं की संख्या की अंतिम सीमा अवधारित करेगा, जिन्हे किसी क्षेत्र में अवस्थित किया जा सकता है,फिर भी, इस क्षेत्र में चलंत फुटपाथ विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा | यदि फुटपाथ विक्रेता, यातायात और अन्य को बिना बाधा पहुचाये हुए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हों तो ऐसी स्थितियों में भी शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को खास आवाजाही वाले क्षेत्र और उस क्षेत्र की एक तिहाई धारण क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसे चलंत फुटपाथ विक्रेताओं को स्थान सुविधा दिये जाने के लिए उनकी कुल संख्या के आधार पर निर्णय करना है |

Neon Board का प्रारूप (प्रतिबंध मुक्त फुटपाथ विक्रय क्षेत्र)

DAY-NULM	
विक्रय स्थल का नाम:	
विक्रय का समय: (विक्रय का समय निर्धारण निकाय द्वारा स्थानीय जरूरत एवं यातायात की सुगमता को देखते हुए किया जाएगा)	**eg:** **सुबह 6 से 12 बजे तक** **दोपहर 12 बजे से 6 बजे शाम तक** **शाम 6 से 11 बजे रात तक**
निदेशानुसार- नगर निकाय का नाम	

3. गैर फुटपाथ विक्रय क्षेत्र

इन क्षेत्रों में विक्रय पूर्णत: वर्जित होगा | सचिवालय,जिला समाहरणालय, जिला पंचायत के कार्यालय नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, न्यायालय,छावनी बोर्ड और राज्य पुरातत्वीय स्मारकों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों के निकट एवं दो या दो से अधिक सड़कों के पारगामी किसी भी तरफ एवं रेल समपार के दोनों तरफ तथा स्थानीय प्राधिकार द्वारा घोषित किसी ऐतिहासिक धरोहरों एवं फुटपाथ विक्रय क्षेत्र के बीच की दूरी तय करने का निर्णय शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के संदर्भ में स्वविवेक से लिया जा सकेगा |

Neon Board का प्रारूप (गैर फुटपाथ विक्रय क्षेत्र)

DAY-NULM	
NO VENDING /फुटपाथ विक्रय प्रतिबंधित	
विक्रय करते पाये जाने पर: eg: आर्थिक दंड -100/ रुपए (TVC द्वारा निर्धारित दर)	
निदेशानुसार- नगर निकाय का नाम	